14/5/26

पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोजन उपस्थित होकर प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया है कि दोनों पक्षकारों के मध्य आपस में संतोषजनक हो गया है इसलिए मु० नं० 3/14 ~~उपस्थान~~ एवं समझौता पत्र काउन्टर क्लेम 14/11 को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। दोनों हाथों का Not press करना चाहते हैं। अतः पत्रावली Not press में खारिज की जाती है। एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/4 के बीच बयाने का वाद पत्र मात्र के अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। फाइल फैसल शुमार होकर नेगेटिव के साथ होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश तुरन्त हो।

काउन्टर क्लेम एवं समझौता पत्र
S.C.C. सुमेर v/s हरिराम 14/2011
धारा 138 एन.आई.एक्ट

2/11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)